

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1513]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2013/आषाढ़ 11, 1935

No. 1513]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2013/ASHADHA 11, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसुचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2013

का.आ. 1961(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 का एतद्द्वारा निम्निलखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"25

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2बी, सं. 6 [किमी 0.00 से किमी 183.200 (कोलकाता-झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 31[किमी 447.000 से 470.000 और किमी 476.150 से 551.00(डलकोला से सिलीगुडी के निकट गोशपुकुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 31सी [किमी 228.00 (सलसलाबाड़ी) से किमी 254.500(संकोश)तक खंड को छोड़कर], सं. 32, सं. 34 [किमी 31.00 (बारासात) से किमी 452.70 (डलकोला) तक खंड को छोड़कर], सं. 60 [खड़गपुर से रानीगंज तक खंड और पांडेश्वरा–दुआराजपुर सूरी को जोड़ते हुए रानीगंज के निकट रारा–2 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर मोरेग्राम के निकाट रारा–34 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 35, सं.55, 60ए और सं. 117 [किमी 0.00 से किमी 7.16 तक (कोना एक्सप्रसमार्ग का प्रारंभिक छोर) और जोका से बक्खाली तक [किमी 21.80 से किमी 137 तक], सं. 80, सं. 81 नई सं. 114ए और सं. 116बी जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार"

[फा. सं. एनएच-14013/2/2013-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), में सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005, द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1230 (अ), तारीख 16 मई, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

2903 GI/2013 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2013

S.O. 1961(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act,1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to said notification, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

National Highways No. 2B, No. 6 [excluding from Km. 0.0 to. Km. 183.200 (from Kolkata to Jharkhand/West Bengal Border)],
No.31 [(excluding from Km. 447.000 to Km. 470.000 and from Km. 476.150 to Km. 551.00 (Dalkhola to Ghospukur near Siliguri)], No. 31C [excluding.from Km. 228.00 (Salsalabari) to Km. 254.500 (Sankosh)], No.32, No.34 (excluding from Km.31.00(Barrasat) to Km.452.70 (Dalkhola), No. 60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Suiri and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No. 35, No.55, No. 60A and No.117 [from Km. 0.0 to Km. 7.16 (beginning of Kona Expressway) and Km. 21.80 to Km.137 from Joka to Bakkhali], No. 80, No. 81, new NH No. 114 A and new NH No. 116B as are situated within the State of West Bengal.

[F. No. NH-14013/2/2013-P&M] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

.Note:—The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1230 (E), dated the 16th May, 2013.